



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112020-223021
CG-DL-E-10112020-223021

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]
No. 569]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2020/ कार्तिक 19, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020/KARTIKA 19, 1942

खान मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 693(अ).—केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 के, नियम 8 के, उपनियम (3) में, "एक हजार" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार" शब्दों को रखा जाएगा ।

[फा. सं. एम-VI-1/1/2020 खान-VI]

संजय लोहिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2020

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred under section 11 B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Atomic Minerals Concession (Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, in rule 8, in sub-rule (3), for the words "one thousand", the words "twenty five thousands" shall be substituted.

[F. No. M.VI-1/1/2020-Mines VI]

SANJAY LOHIYA, Jt. Secy.